उत्तराखण्ड ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन का अभिकरण)

प्रथम तल, पंचायतीराज निदेशालय,
आई0टी0 पार्क के सामने, सहस्रधारा रोड, देहरादून.
दूरभाष : 0135.2608125, फैक्स : 2608126.
ईमेल : ut-urrda@pmgsy.nic.in.
urrda@yahoo.com.

पत्रांकः 2143 /वन भूमि /यू0आर0आर0डी0ए0/2017 दिनांक 20 नवम्बर, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय– ऑनलाईन वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्तावों में प्रयोक्ता एजेंसी का नाम परिवर्तन के सम्बन्ध में।

महोदय,

पी0एम0जी0एस0वाई के अन्तर्गत 250+ की बसावटों को संयोजित करने के लिए भारत सरकार के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड़ सरकार के द्वारा यू0आर0आर0डी0ए0 का गठन किया गया, जो ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार के अधीन कार्य कर रहा है।

प्रारम्भ से ही मोटर मार्ग निर्माण कार्य को गति देने के लिए लो0नि0वि0, सिंचाई विभाग तथा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा आदि विभागों के अभियन्ताओं एवं कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया। वनभूमि प्रत्यावर्तन के ऑनलाईन प्रस्तावों को विभिन्न इकाईयों द्वारा अपने–अपने नाम से ID/Password बनाकर प्रस्तावों को अपलोड किया गया। पूर्व में इन प्रस्तावों में किसी भी स्तर से कोई आपत्ति नही की गयी तथा सैद्धान्तिक व विधिवत स्वीकृतियां भी प्राप्त हुई। अब भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून द्वारा पूर्व में अपलोड अवशेष प्रस्तावों में प्रयोक्ता एजेंसी (सम्बन्धित कार्यदायी संस्था) के स्थान पर प्रत्येक प्रस्ताव में ग्राम्य विकास विभाग उल्लिखित करने का निर्देश प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में प्रयोक्ता एजेंसी/इकाई स्तर पर प्रयोक्ता एजेंसी का नाम परिवर्तन सम्भव नही हो पा रहा है।

यह विचारणीय है कि क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से प्राप्त विधिवत स्वीकृतियों में राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्तियों (Notifications) में ग्राम्य विकास विभाग ही अंकित हो रहा है।

अतः अनुरोध है कि कृपया पी0एम0जी0एस0वाई0 के समस्त खण्डों की आई0डी0 **(सूची संलग्न)** में प्रयोक्ता एजेंसी (इकाई) के स्थान पर ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड सरकार उल्लिखित करने हेतु एन0आई0सी, नई दिल्ली को अपने स्तर से लिखने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(उदय राज सिंह)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
यू0आर0आर0डी0ए0

प्रतिलिपि –

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
यू0आर0आर0डी0ए0